

नगर पालिका, सोजत सिटी

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/SOJAT CITY/FIRENOC/2026-27/69286
जारी दिनांक: 24-JUL-2026 वैधता दिनांक: 23-JUL-2028

प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती: RAKESH RAIKA
आवेदक का पता: CHANDAWAL NAGAR, SOJAT 306306

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन GOKUL SCHOOL CHANDAWAL, 1, MURDAWA ROAD, CHANDAWAL NAGAR, , PALI, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह स्थाई (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तें:-

- अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि हेतु ही मान्य होगा। एक वर्ष बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
- भवन के समस्त स्टाफ व सिक्योरिटी गार्ड्स को वर्ष में कम से कम दो बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा।
- अग्नि उपकरण समयावधि में रिफिल कराना होगा।
- निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।
- यदि राज्य सरकार या पालिका द्वारा भविष्य में कोई नियमधुपनियम जारी किया जाता है तो प्रबन्धक को मान्य होगा।
- भवन का मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नहीं पाये जाने की स्थिति में यह अभिशप्ता पत्र निरस्त माना जायेगा।
- पानी के टैंकर हर समय भरे रखने होंगे व पम्प व पुरा फायर सिस्टम 24 घंटे कार्यशील स्थिति में रखने को बाध्य होंगे।
- फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घंटे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे तथा ए.एम.सी करवायी जाकर सिस्टम का रख रखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा।
- फायर वाहन आसानी से आ सके इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
- भवन के अन्दर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलन शील प्रदार्थ नहीं रखा जावे।
- रोप लैंडर व दो रसा भवन के सभी टावर में टावर की उचाई जितना हर समय भवन में रखना होगा।
- यह अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा।
- भूमि व भवन संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नहीं होगा एवं इस बाबत आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
- यह अनापत्ति प्रमाण पत्र रूफटॉप रेस्टोरेन्ट के लिए मान्य नहीं है। जिस भाग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है वहां पर रूफटॉप रेस्टोरेन्ट का संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।



Digitally signed by RAGHAV SINGH MEENA
Designation: DC-EO-COMM.
Date: 2026-07-24 11:21:02 IST
Location: SOJAT CITY, RAJASTHAN

v-2.1

अग्निशमन अधिकारी
नगर पालिका, सोजत सिटी